पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड

(A 100% wholly owned subsidiary Power Grid Corporation of India Ltd.)

पूर्वी क्षेत्र पारेषण प्रणाली-1 मुख्यालय,

बिहार राज्य ईलेक्ट्रीसिटी बोर्ड कोलोनी,

टी. आर. डब्लू सेंटर के नजदीक, पोस्ट + थाना - शास्त्रीनगर

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, पटना - 800023

स्पीड-पोस्ट

संदर्भ: PGCIL/ER-I/RTI-258/2020-21/1591 दिनांक : 15.02.2021

सेवा में,
श्री सुधांशु शेखर खॉ,
ग्राम + पोस्ट : पड़री,
जिला : सहरसा, पिन कोड :852212 (बिहार)

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत मांगी गयी जानकारी के सम्बन्ध में।

महाशय,

कृपया आप अपने आवेदन दिनांक 14.12.2020 का संदर्भ लेंगे, जो लोक सूचना पदाधिकारी सह जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा द्वारा प्रेषित पत्रांक 04-2/भू-अर्ज0 दिनांक 02.01.2021 के द्वारा आर.टी.आई. अधिनियम-2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पी.एम.टी.एल.) सह-केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, पूर्वी क्षेत्र-1, पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड, पटना -23 को अग्रसारित किया गया था, जो दिनांक 18.01.2021 को पटना कार्यालय को प्राप्त हुआ था । आपके आवेदन को संबंधित कार्यालय को उत्तर प्राप्ति के लिए अग्रसारित किया गया था । संबंधित कार्यालय के द्वारा **अनुलग्नक -क (पेज न.1 एवं 2)** के रुप मे उत्तर प्राप्त हुआ है, जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको अग्रसारित किया जा रहा है।

सधन्यवाद,

भवदीय,
15/02/21
(एम.क्यू.हुदा),
मुख्य कार्यकारी अधिकारी(पी.एम.टी.एल.)
सह-केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

संलग्न: अनुलग्नक- क (पेज न.1 एवं 2)

अनुलग्नक "क"

सेवा में ,

श्री सुधांशु शेखर खां,
ग्राम+पोस्ट- पड़री, जिला- सहरसा
बनगांव - 852212

विषय : सूचना केअधिकार के अंतर्गत मांगी गयी सूचना के संबंध में।

महोदय,

कृपया सूचना के अधिकार के अंतर्गत आपके आवेदन दिनांक 14.12.2020, जो दिनांक 18.01.2021 को लोक सूचना पदाधिकारी सह भू – अर्जन पदाधिकारी , सहरसा के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ और जिसके माध्यम से आपके द्वारा पटना - किशनगंज 400 के० वी० पारेषण लाइन के लूप आउट के टावर संख्या 14/0, 14/4 एवं 14/5 के निर्माण के दौरान दिए गए मुआवजा से सम्बन्धित जानकारी माँगी थी. उक्त के सन्दर्भ में निम्लिखित सूचना प्राप्त करें-

1. भारत सरकार द्वारा भारतीय तार अधिनियम, 1885 में तारयंत्र प्राधिकारी (Telegraph Authority) को प्राप्त सभी शक्तियां राजपत्र दिनाँक 14.05.2019 के माध्यम से पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड (पी एम.टी.एल.) को प्रदान की गयी है।

2. भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 10 के अनुसार तारयंत्र प्राधिकारी (Telegraph Authority) किसी भी स्थावर संपत्ति के नीचे, ऊपर, सहारे या आर पार लाइनों का निर्माण कर सकेगा तथा उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेगा। अर्थात विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण हेतु किसी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाता है तथा निर्माण के दौरान कम से कम नुकसान हो ऐसा प्रयास किया जाता है और हितबद्ध व्यक्तियों को नुकसान के लिए नियमानुसार पूर्ण मुआवजा दिया जाता है।

3. **टावर निर्माण के पश्चात भी भूमि, भू-स्वामी की रहती है।** टावर निर्माण के दौरान किसी भी प्रकार का जमीन अधिग्रहण नहीं किया जाता है। इसलिए जमीन का मुआवजा सर्किल रेट से चार गुणा देने का प्रावधान नहीं है।

4. टावर निर्माण में दिया जाने वाला फसल क्षति मुआवजे का निर्धारण , टावर निर्माण के दौरान होने वाले फसल क्षति पर आधारित होता है।

12/02/21

5 आपके द्वारा उपलब्ध कराये गए फसल क्षति मुआवजा पत्रों (छायाप्रति) की मुआवजा राशि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गए बैंक खाते में जमा करायी जा चुकी है जिसका विवरण निम्न है :-

क्र० सं०	टावर संख्या	फ़ार्म संख्या	फ़ार्म जारी करने की तिथि	भुगतान की तिथि	भुगतान की राशि (रु. में)
01	14/0	076/3763	25.04.2020	19.05.2020	20320.00
02	14/4	088/4357	04.06.2020	29.06.2020	2984.00
03	14/5	088/4375	07.06.2020	29.06.2020	10260.00

6. उक्त पारेषण लाइन के लूप आउट के टावर संख्या 14/03 एवं 14/06 के निर्माण के दौरान आपका किसी भी प्रकार की फसल क्षति नहीं हुई थी। इसलिए इन टावरों के निर्माण के दौरान आपको किसी भी प्रकार का फसल क्षति का मुआवजा फॉर्म निर्गत नहीं किया गया था।

सधन्यवाद!

19/02/21

(पी के सिंह

वरि महाप्रबंधक, सहरसा